भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 539

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

छात्रवृत्तियों के अनुमोदन/संवितरण में देरी

539. **श्री के. ई. प्रकाश:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियों के अनुमोदन और संवितरण में बड़ी देरी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन छात्रवृत्तियों की समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने, अनुमोदन और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिए कोई सुधार या प्रक्रियात्मक परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया है। हालांकि, वर्ष 2021-22 के बाद इन योजनाओं को लागू करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

*****